न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा(टोंक)

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र– 36/2018

निर्णय दिनांक– 25.07.2018

गोपी पुत्र अमरानाथ जाति नाथ निवासी ग्राम विणजारी तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)

प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– श्री श्योजीलाल चौधरी, वकील प्रार्थी

पेरोकार सरकार प्रतिपक्षी की ओर से

<u>निर्णय</u>

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 546, 671, 672, 675, 676, 677 कुल किता 6 कुल रकबा 2.90 है0 वाके ग्राम विणजारी तहसील उनियारा मे स्थित है। जिसमे प्रार्थी को 1/2 हिस्सा दर्ज है। जिसमे प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है। उक्त आराजीयात प्रार्थी को अपने पिता से विरासत मे प्राप्त हुई है। जिस पर प्रार्थी अपने हिस्से पर बतोरे मालिक व स्वामी काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी का सही नाम गोपी पुत्र अमरानाथ है, जो प्रार्थी के परिवार राशनकार्ड , आधार कार्ड, शैक्षिक दस्तावेज, बैंक बचत खता आदि मे अंकित है परन्तु राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे श्योजी पुत्र अमरानाथ अंकित हो गया। राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 259 कुल किता 4 रकबा 2.51 है0 वाके ग्राम बिणजारी मे प्रार्थी का नाम गोपी पुत्र अमरानाथ अंकित है। राजस्व रेकार्ड में गलत नाम दर्ज हो जाने से प्रार्थी को अपने हिस्से की आराजी पर केसीसी बनवाने, कृषि अनुदान प्राप्त करने, पनी उपज को समर्थन मूल्य योजना मे विकय करने आदि मे काफी परेशानियां उत्पन्न हो रही है।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि आराजी खाता संख्या 546, 671, 672, 675, 676, 677 कुल किता 6 कुल रकबा 2.90 है0 वाके ग्राम बिणजारी तहसील उनियारा मे प्रार्थी का नाम श्योजी पुत्र अमरानाथ के स्थान पर गोपी पुत्र अमरानाथ दर्ज करते हुये राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त फरमावे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा द्वारा दिनांक 18.7.2018 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि सलंग्न दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र सचिव तथा अन्य खाता ग्राम बिणजारी खाता संख्या 259 मे भी गोपी पुत्र अमरानाथ ही दर्ज है। श्योजी पुत्र अमरानाथ के स्थान पर गापी पुत्र अमरानाथ किया जाना उचित है।

उभय पक्षों की बहस सुनीगई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजातका अवलोकन किया गया। ग्राम बिणजारी खाता संख्या 258 मे वर्णित आराजी ख0न0 546, 671, 672, 675, 676, 677 कुल किता 6 कुल रकबा 2.90 है0 मे श्योजी पुत्र अमरानाथ हि0 1/2 दर्ज है। प्रस्तुत दस्तावेजात छाया प्रति राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड मे प्रार्थी का नाम गोपी पुत्र अमरानाथ दर्ज है। इसके अलावा नकल जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 ग्राम बिणजारी खाता संख्या 259 मे गोपी पि0 अमरा नाथ अंकित है। सचिव ग्राम पंचायत बिलासपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 19.7.18 के अनुसार भी गोपी पुत्र अमरनाथ एवं श्योजी पुत्र अमरनाथ निवासी बिणजारी तहसील उनियारा ग्राम पंचायत बिलासपुर का रहने वाला है। उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि गोपी पुत्र अमरानाथ तथा श्योजी पुत्र अमरानाथ दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। नायब तहसीलदार ने अपने जवाब दावें मे प्रार्थी का नाम दुरूस्त किये जाने मे कोई आपत्ति नही की है। इसके अलावा ग्राम बिणजारी खाता संख्या 259 मे गोपी पुत्र अमरा नाथ अंकित है। उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जात है। कि वे खाता संख्या 258 मे वर्णित आराजी ख0न0 546, 671, 672, 675, 676, 677 कुल किता 6 कुल रकबा 2.90 है0 मे श्योजी पुत्र अमरानाथ हि0 1/2 के स्थान पर गोपी पुत्र अमरानाथ हि0 1/2 अंकित कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 25.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner